न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक दौसा बनाम पप्पू उर्फ रफीक खान पुत्र मंगल खान किस्म मुकदमा : इस्तगासा अन्तर्गत गुण्डा एक्ट मु0नं0 04/2024	
25.10.2024	पत्रावली पेश हुई। लोक अभियोजक उपस्थित। गैर सायल उपस्थित नहीं हुआ। थानाधिकारी पुलिस थाना कोलवा जिला दौसा के पत्र क्रमांक 3789 दिनांक 23.10.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल पप्पू उर्फ रफीक खान पुत्र मंगल खान जाति मुसलमान निवासी अरनिया थाना कोलवा की वर्तमान गतिविधियां वर्तमान में शान्त है। गैर सायल वर्तमान में जमानत पर है तथा बैण्ड बाजा बजाने व मजदूरी का कार्य करता है। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक अभियोजक की बहस एवं थानाधिकारी पुलिस थाना कोलवा से प्राप्त रिपोर्ट पर मनन किया। थानाधिकारी पुलिस थाना कोलवा से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल वर्तमान में जमानत पर है तथा गैर सायल की गतिविधियां वर्तमान में शान्त है एवं गैर सायल बैण्ड बाजा बजाने व मजदूरी का कार्य कर रहां है। गैर सायल की वर्तमान गतिविधियों को मध्यनजर रखते हुये गैर सायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं है। अतः गैर सायल पप्पू उर्फ रफीक खान पुत्र मंगल खान जाति मुसलमान निवासी अरनिया थाना कोलवा जिला दौसा के विरूद्ध जिला पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा प्रस्तुत किया गया इस्तगासा इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि यदि भविष्य में गैर सायल की गतिविधियां गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत समाज विरोधी पाई जाती है तो पुनः गैर सायल के विरूद्ध गुण्डा एक्ट में कार्यवाही हेतु इस्तगासा न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे। जिला पुलिस अधीक्षक दौसा को निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे। निर्णय आज दिनांक 25.10.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सुमित्रा पारीक) अति. जिला मजिस्ट्रेट ,दौसा Signature Not Verified Digitally signed by Sumitra Pareek Date: 2024.12.19 16:49:41 IST Reason: SelfAttested	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official